निबंधन सं० पी० डी०—40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 माघ 1928 (श०)

(सं० पटना 100) पटना, सोमवार, 29 जनवरी 2007

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

25 जनवरी 2007

सं० एल०जी०-1-0301/2006-लेज—11—बिहार विधान-मंडल द्वारा यथा-पारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 16 जनवरी 2007 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
योगेन्द्र प्रसाद,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 4, 2007]

बिहार भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबंधन का विनियमन एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2006

भूगर्भ जल विकास और प्रबंधन एवं उससे संबंधित अथवा प्रासंगिक मामलों को विनियमित एवं नियंत्रित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के संतावनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय I
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।—(1) यह अधिनियम बिहार भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबंधन का विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम, 2006 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस तारीख से प्रभावी होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न तिथियाँ नियत की जा सकेंगी तथा इस अधिनियम की विभिन्न धाराएं इस धारा के अधीन विभिन्न तिथियों को अधिसूचित की जा सकेंगी।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, बिहार भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबंधन का विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम, 2006;

(ख) "कृत्रिम भूगर्भ जल पुनर्भरण" से अभिप्राय है – वह विधि जिसके द्वारा भूगर्भ जल भण्डार का संवर्द्धन प्राकृतिक रूप से पुनर्भरण की दर से अधिक हो।

(ग) "प्राधिकरण" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्थापित "बिहार भूगर्भ जल प्राधिकरण"।

(घ) "पेयजल" का अभिप्राय पीने और अन्य घरेलू प्रयोजनों के लिए मानव आबादी द्वारा खपत और प्रयोग के लिए जल जिसमें खाना पकाने, नहाने धोने, साफ करने तथा अन्य दिन–प्रतिदिन के कार्यकलापों के लिए जल की खपत अथवा प्रयोग शामिल होगा । इसमें जीव जन्तुओं द्वारा जल की खपत भी शामिल होगी।

(ङ) "सरकार" का अभिप्राय है बिहार सरकार ।

(च) "भूगर्भ जल" से अभिप्राय है, वह जल जो किसी संतृप्त क्षेत्र में भूमि की सतह के नीचे विद्यमान है और जिसे कुएं अथवा किसी अन्य साधन से निकाला जा सकता है अथवा जो धाराओं और नदियों में झरनों और मूल प्रवाहों के रूप में निकलता है।

(छ) "नगरपालिका" से अभिप्राय है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के अधीन गठित स्वशासी संस्था ।

(ज) "पंचायत" से अभिप्राय है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वशासी संस्था ।

(झ) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा विहित।

(ञ) "वर्षा जल संचयन" से अभिप्राय है, सतही वर्षा जल अथवा उप सतही जलभृत के संग्रहण और भंडारण की तकनीक ।

(ट) "सिंक" से अभिप्राय है, सभी व्याकरणिक विभेदों के साथ कूप से संबंधित सजातीय अभिव्यक्तियों में नये कूपों की खुदाई, उत्खनन या परिवेधन करना अथवा विद्यमान कूपों को और अधिक गहरा करके (परिधि एवं दीर्घा का) संशोधन करना ।

(ठ) "भूगर्भ जल का उपयोगकर्ता" से अभिप्राय है, व्यक्ति या व्यक्ति समूह अथवा कोई संस्थान् कम्पनी या स्थापना, चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी, जो व्यक्तिगत या सामुदायिक आधार पर किये गये घरेलू उपयोग सहित किसी भी प्रयोजनार्थ भूगर्भ जल निकालता अथवा उपयोग अथवा विक्रय करता हो ।

(ड) "कूप" से अभिप्राय है, ऐसी संरचना जो भूगर्भ जल संसाधनों के वैज्ञानिक अन्वेषण, खोज, विकास, संवर्द्धन, संरक्षण, सुरक्षा अथवा भूगर्भ जल प्रबंधन हेतु जल उपलब्ध कराने के लिए राज्य या केन्द्र सरकार के प्राधिकृत अधिकारियों के अतिरिक्त वैसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा भूगर्भ जल की खोज करने या निकालने के लिए खोदा गया है जिसमें खुला कूप, खोदा गया कूप, बोरिंग किया गया कूप, खोदा गया तथा बोरिंग किया गया कूप, नलकूप, फिल्टर प्वाइंट संग्राही कूप एवं अन्तः स्त्रुत गैलरी, पुनर्भरण कुआं, विन्यास कुआं अथवा उनमें से किसी का संयोजन या रूपभेद शामिल है, परन्तु इसमें ऐसे कूप शामिल नहीं होंगे जिससे हैंड पम्प या रस्सी एवं बाल्टी जैसी हस्त चालित युक्तियों द्वारा भूगर्भ जल व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उपयोग हेतु निकाला जाता हो।

अध्याय–II

3. भूगर्भ जल प्राधिकरण की स्थापनाः

(1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचना में, यथा– विनिर्दिष्ट तिथि के प्रभाव से "बिहार राज्य भूगर्भ जल प्राधिकरण" नामक एक प्राधिकार स्थापित करेगी।

(2) प्राधिकरण का गठन निम्नलिखित को मिलाकर होगाः

(क) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई पदाधिकारी, जो मुख्य अभियंता के स्तर से कम न हो : अध्यक्ष ।

(ख) अध्यक्ष केन्द्रीय भूमि जल पर्षद द्वारा मनोनीत किए जाने वाला केन्द्रीय भूमि जल पर्षद का कोई प्रतिनिधि ।

(ग) राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित विभागों के सेवारत चार प्रतिनिधि पदेन सदस्य नियुक्त किए जाएँगे, जिनका संबंध भूगर्भ जल के सर्वेक्षण, खोज, विकास एवं प्रबंधन से है:–

(i)	लघु सिंचाई विभाग	:	निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय अथवा कोई अन्य पदाधिकारी, जो अधीक्षण अभियंता के स्तर से कम न हो
(ii)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	:	अधीक्षण अभियन्ता के स्तर से अन्यून एक पदाधिकारी
(iii)	जल संसाधन विभाग	:	अधीक्षण अभियन्ता के स्तर से अन्यून एक पदाधिकारी
(iv)	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (जैव तकनीकी)	:	प्रभारी, बिहार सुदूर संवेदन केन्द्र

(घ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अधिकतम पाँच अन्य सदस्य जो, राज्य सरकार की राय में, भूगर्भ जल से संबंधित विषयों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते हों।

(3) अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की पदावधि, रिक्तियाँ भरने की रीति और अन्य सेवा–शर्तें वही होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जायें।

(4) सदस्यगण अध्यक्ष को, जो प्राधिकार का मुख्य कार्यपालक होगा, सलाह देंगे।

प्राधिकरण के कर्मचारीगण–

(1) प्राधिकरण को समुचित रूप से काम करने या अधिनियम के अधीन शक्तियों के प्रयोग करने में समर्थ बनाने के लिए सरकार, उतनी संख्या में तकनीकी कार्मिकों एवं अन्य कर्मचारीगण की नियुक्ति कर सकेगी, जितनी वह आवश्यक समझे ।

(2) ऐसे कर्मचारियों के कार्य एवं सेवा की शर्तें वही होंगी, जो सरकार द्वारा विहित की जाए।

5. भूगर्भ जल विकास एवं प्रबंधन के विनियमन एवं नियंत्रण हेतु क्षेत्रों को अधिसूचित करने की शक्तियां–

(1) प्राधिकार सरकार के समग्र नियंत्रण एवं पर्यवेक्षणाधीन कार्य करेगा।

(2) केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सी0जी0डब्ल्यू0ए0) सहित विभिन्न विशेषज्ञ निकायो के साथ परामर्श करने के पश्चात यदि प्राधिकरण यह मानता है कि किसी क्षेत्र में किसी भी रूप में भूमि जल की निकासी अथवा उपयोग दोनों के नियत्रित एवं विनियमित करने के लिए यह लोक हित में आवश्यक एवं समीचीन है तो वह इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु उस तारीख, जैसा कि इसमें विनिर्दिष्ट है, से अधिसूचित किये जाने वाले ऐसे किसी क्षेत्र की घोषणा करने के लिए राज्य सरकार को सलाह देगा । यह घोषणा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित की जायेगी:

परन्तु यह कि अधिसूचना में उस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के पूर्व की नहीं होगी।

(3) प्रत्येक ऐसी अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन के अतिरिक्त राज्य में व्यापक प्रसार वाले क्षेत्रीय भाषा के कम–से–कम एक समाचार पत्र जिसका राज्य में व्यापक परिचालन हो, में प्रकाशित की जाएगी तथा ऐसी रीति से भी प्रकाशित की जाएगी, जिसे सरकार उचित समझे और उस प्रकार की सेवा को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित सभी या किसी ढंग को अपना सकेगी, यथा:–

(क) उक्त क्षेत्र में अवस्थित ग्राम पंचायतों के कार्यालयों के कतिपय सहज–दृश्य भाग में अधिसूचना की प्रति चिपका कर;

(ख) उक्त क्षेत्र में अधिसूचना की विषयवस्तु के बारे में डुग्गी पीट कर अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से उद्घोषणा कराकर;

(ग) अन्य वैसे तरीकों से जैसा निर्धारित किया जाय।

(4) यदि प्राधिकरण की राय में, किसी अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल की उपलब्धता में सुधार हो गया हो, तो वह सरकार को केन्द्रीय भूमि जल पर्षद सहित विभिन्न निकायों के परामर्श से ऐसे क्षेत्र को गैर अधिसूचित करने की सलाह दे सकेगा तथा क्षेत्र को अधिसूचित करने की ऊपर अधिनियम की धारा 5(3) के तहत निर्धारित प्रकिया के अनुसार सरकार वैसा कर सकेगी।

(5) प्राधिकरण को यह भी सुनिश्चित करने का उपाय करना होगा कि भूगर्भ जल संसाधनों का दोहन जलभृतों की प्राकृतिक पूर्ति से अधिक नहीं होता है । जहां कहीं भी असमानता है विनियामक उपायों के अतिरिक्त भूगर्भ जल संसाधनों को बढ़ाना सुनिश्चित करने के उपाय किये जायेंगे।

(6) प्राधिकरण भूगर्भ जल से संबंधित सूचना तथा आंकड़ा आधार का रख–रखाव करेगा ।

6. अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल निकालने एवं उसका उपयोग करने के लिए अनुज्ञा पत्र दिया जाना–

(1) भूगर्भ जल का कोई उपयोगकर्ता धारा–2 की उप धारा (ठ) में यथा पारिभाषित जो या तो व्यक्तिगत या सामुदायिक आधार पर किसी प्रयोजनार्थ अधिसूचित क्षेत्र में कुआँ लगाना चाहता हो, वह इस प्रयोजन के लिए अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु प्राधिकरण के पास आवेदन देगा और प्राधिकरण द्वारा जबतक इस हेतु उसे अनुज्ञा पत्र नहीं मिल जाता तब तक वह उसे लगाने संबंधी कोई कियाकलाप नहीं करेगा :

परन्तु, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को हस्तचालित पम्प लगाने अथवा हस्तचालित युक्तियों के द्वारा जल को निकाले जाने वाले कुएं के प्रस्ताव पर इस हेतु अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) उप–धारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन, उस प्रपत्र में तथा उसमें उन प्रविष्टियों को अन्तर्विष्ट करते हुए और उस रीति से दिया जायेगा, जो सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली में विहित हो ।

(3) उप–धारा (1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर यदि भूगर्भ जल प्राधिकरण इस से संतुष्ट है कि ऐसा करना जनहित के विरूद्ध नहीं होगा तो वह जल की निकासी और उपयोग करने का अनुज्ञा पत्र, यथा निर्धारित ऐसी स्थितियों और प्रतिबंधों के अधीन दे सकता है। इसमें आवेदक को प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर पर्याप्त आकार की कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाएं निर्मित करने की शर्त भी लगाई जा सकती है ।

परन्तु किसी व्यक्ति को सुने जाने का अवसर दिये बिना अनुज्ञा पत्र देने से इन्कार नहीं किया जाएगा।

(4) प्राधिकरण द्वारा आवेदक को इस आवेदन के प्राप्त होने से 90 दिनों की अवधि के भीतर अनुज्ञा प्रदान किए जाने अथवा इनकार किए जाने संबंधी निर्णय से अवगत कराना होगा।

(5) उप–धारा (3) के अधीन अनुज्ञा पत्र देने या देने से इन्कार करते समय प्राधिकरण को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा:–

(क) उस उद्देश्य अथवा प्रयोजन, जिसके लिये भूगर्भ जल का उपयोग किया जाना है;

(ख) अन्य प्रतिस्पर्द्धी उपयोगकर्ताओं का अस्तित्व;

(ग) भूगर्भ जल की उपलब्धता;

(घ) निकाले जानेवाले भूगर्भ जल की मात्रा

(ड़) उपयोग के संबंध में भूगर्भ जल की गुणवत्ता;

(च) जल का उपयोग करने संबंधी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भूगर्भ जल संरचनाओं के बीच की दूरी (स्पेसिंग)

(छ) दीर्घकालिक भूगर्भ जल स्तर व्यवहार,

(ज) अपने आसपास के क्षेत्र में किसी पेय जल स्रोत की जल उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना ।

(झ) इससे संबंधित कोई अन्य कारक।

(6) अनुज्ञा पत्र यथा विहित प्रपत्र में होगा।

7. अधिसूचित क्षेत्रों में विद्यमान उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण–

(1) धारा 5(2) के अन्तर्गत राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में भूगर्भ जल का प्रत्येक विद्यमान उपयोगकर्ता विनिर्धारित किए गये रूप और रीति से विद्यमान उपयोग के अभिज्ञान हेतु पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों को अधिसूचित किए जाने की तारीख से 120 दिनों की अवधि के भीतर प्राधिकरण के पास आवेदन करेगा ।

परन्तु, प्राधिकरण उक्त एक सौ बीस दिनों की अवधि के बीत जाने के बाद भी किसी आवेदन को प्राप्त कर सकता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि उपयोगकर्ता को समय पर आवेदन नहीं कर सकने के पर्याप्त कारण हैं ।

(2) उप–धारा (1) के अधीन दिए गये आवेदन में प्रस्तुत किए जाने वाले ब्योरों में निम्नलिखित शामिल होंगे, यथा–

(i) जल स्रोत का विवरण, यथा कूप का प्रकार, इसकी वास्तविक स्थिति;

(ii) जल को ऊपर ले जाने के लिए प्रयुक्त साधन;

(iii) प्रतिदिन भूगर्भ जल की निकासी की मात्रा और परिचालन के घंटे;

(iv) प्रत्येक वर्ष में उपयोग की कुल अवधि;

(v) भूगर्भ जल की निकासी करने के प्रयोजन;

(vi) यदि भूगर्भ जल की आवश्यकता पेयजल प्रयोजन के लिए है तो इससे लाभान्वित होनेवाली आबादी;

(vii) सिंचाई कूप के मामले में उसका स्थान एवं सिंचित क्षेत्र;

(viii) राज्य, नगरपालिका या समुदाय द्वारा चलाई जा रही जलापूर्ति योजनाओं के मामले में, निकाली गई जल की मात्रा, विशाखन अथवा पंपिंग प्वाइंटों और उनके स्थानों के अतिरिक्त शामिल अन्य कार्यकलापों के ब्योरे ।

(3) उप–धारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर यदि प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा करना लोक हित के प्रतिकूल नहीं होगा तो वह उन शर्तों और प्रतिबन्धों जो विहित की जाये, के साथ जल के निरंतर उपयोग को प्राधिकृत करते हुए पंजीकरण प्रमाण पत्र दे सकता है ।

परन्तु किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने से इनकार नहीं किया जाएगा ।

(4) आवेदन के प्राप्त होने के नब्बे दिनों के भीतर आवेदक को प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र की अनुमति प्रदान करने अथवा अस्वीकार करने संबंधी निर्णय से अवगत कराना होगा ।

(5) प्राधिकरण को उप–धारा(3) के अधीन अनुमति प्रदान करने अथवा अस्वीकार करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना होगा :

(क) भूगर्भ जल को प्रयुक्त करने के लिए उद्धेश्य अथवा प्रयोजन;

(ख) अन्य प्रतिस्पर्द्धी उपयोगकर्ताओं का अस्तित्व;

(ग) भूगर्भ जल की उपलब्धता;

(घ) उपयोग के संबंध में भूगर्भ जल की गुणवत्ता;

(ङ) प्रयुक्त किए जा रहे जल के प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए भूगर्भ जल संरचनाओं के बीच की दूरी (स्पेसिंग) ।

(च) दीर्घकालिक भूगर्भ जल स्तर व्यवहार ,

(छ) इससे संबंधित कोई अन्य कारक.

(6) पंजीकरण का प्रमाण पत्र उस प्रपत्र में होगा जैसा विहित किया जाये ।

(7) उप–धारा–(1) के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा लंबित आवेदन पत्र पर निर्णय संसूचित करने तक अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल का प्रत्येक मौजूदा उपयोगकर्ता उसी तरीके से और उतनी ही मात्रा में भूगर्भ जल का निरंतर उपयोग करने का हकदार होगा जितना कि वह अपने आवेदन की तारीख से पहले हकदार था।

(8) यदि कोई पंजीकृत कूप निष्क्रिय हो जाता है तो इस तथ्य को भूगर्भ जल के उपयोगकर्ता द्वारा प्राधिकरण के ध्यान में तुरंत लाया जाना चाहिए ।

8. ड्रिलिंग एजेंसियों का पंजीकरण–

(1) प्रत्येक रिग का स्वामी अपनी मशीनरी को प्राधिकरण में निर्धारित ढंग से और/अथवा निर्धारित फीस के भुगतान पर पंजीकृत करायेगा।

(2) प्रत्येक रिग का स्वामी अथवा परिचालक प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निदेशों का अनुसरण करेगा।

9. अनुज्ञा पत्र/पंजीकरण प्रमाण पत्रों की शर्तों को परिवर्तित करने, संशोधित करने अथवा बदलने की शक्ति– यथास्थिति, अनुज्ञा पत्र या पंजीकरण प्रमाण पत्र देने के पश्चात् प्राधिकरण तकनीकी कारणों से, अनुज्ञा पत्र या पंजीकरण प्रमाण पत्र की शर्तो में किसी भी समय परिवर्तन, संशोधन अथवा फेरबदल कर सकेगा, बशर्ते भूगर्भ जल के उपयोगकर्ता को सुने जाने का अवसर प्रदान किया गया हो:

परन्तु और कि, ऐसी कार्रवाई करने के पूर्व प्राधिकरण यह सुनिश्चित कर लेगा कि खडी फसल(फसलों) को नुकसान न पहुँचे।

10. अनुज्ञा पत्र/पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण– यदि प्राधिकरण इस आशय से अथवा इससे अन्यथा किए गए इस संदर्भ से संतुष्ट है कि :–

(क) धारा 6 की उप धारा (3) अथवा धारा 7 की उप–धारा (3) के अधीन, जैसी भी स्थिति हो, प्रदान किया गया अनुज्ञा–पत्र अथवा पंजीकरण प्रमाण–पत्र तथ्यों पर आधारित नहीं है ।

(ख) अनुज्ञा पत्र/पंजीकरण प्रमाण पत्र धारक बिना युक्तिसंगत कारण से शर्तों का अनुपालन करने में विफल हो गया है जिसके तहत अनुज्ञा पत्र/पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया गया है अथवा इस अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है ।

अथवा

(ग) ऐसी स्थिति आ गई हो जिसमें भूगर्भ जल की निकासी अथवा इसके उपयोग को परिसीमित करना आवश्यक है।

तो ऐसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले–बिना, जिसके लिये अनुज्ञा पत्र/पंजीकरण प्रमाण पत्र धारक इस अधिनियम के तहत् उत्तरदायी हो तो प्राधिकरण अनुज्ञा पत्र/पंजीकरण प्रमाण पत्र धारक को कारण पृच्छा के लिये अवसर दिये जाने के पश्चात् अनुज्ञा पत्र/पंजीकरण प्रमाण पत्र को, जैसा कि मामला हो निरस्त कर सकेगा ।

11. प्राधिकरण की शक्तियां–

(1) प्राधिकरण अथवा उसकी ओर से लिखित में प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति को निम्न शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार होगा :–

(क) किसी भी सम्पत्ति (निजी या सरकारी) पर अनुसंधान करने तथा भूमि अथवा सतही या जमीन के नीचे अवस्थित जल से संबंधित कोई माप करने के लिए प्रवेश करना;

(ख) खोदे/गाड़े गये या खोदे/गाड़े जा रहे कूप तथा उससे उत्खनित मिट्टी अथवा अन्य सामग्रियों की जांच करना;

(ग) ऐसे कूपों से ऐसी मृदा अथवा अन्य सामग्रियों अथवा निकाले गए जल के नमूने लेना;

(घ) कूप खोदने/गाड़ने वाले व्यक्तियों को, लिखित आदेश देना कि कार्य समापन या कार्य परित्याग की तिथि से तीन माह से अनधिक अवधि के लिए मिट्टी या उससे उत्खनित सामग्री के नमूनों को उस रीति से रखने एवं परिरक्षण करने की, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, तथा वैसे व्यक्ति उक्त आदेश का पालन करेंगे;

(ङ) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कियान्वित करने के लिए वांछित कोई सूचना (खोदे जा रहे अथवा खोदे गए कूपों के व्यास अथवा गहराई सहित, जल स्तर अथवा प्रभावित स्तर और बाद में पुनर्भारित/रूका हुआ स्तर, कुएं को खोदे जाने में आने वाली परत और प्रभावित भूगर्भ जल की गुणवत्ता) प्राप्त करने के लिए निरीक्षण करने तथा संबंधित अभिलेख अथवा दस्तावेज की प्रतियां प्राप्त करने तथा तत्सम्बन्धी पूछताछ करना;

(च) किसी भी भूगर्भ जल निकासी संरचनाओं संबंधी जल मापन साधन की स्थापना के लिए भूगर्भ जल प्रयोक्ता को निर्देश देना;

परंतु जहां भूगर्भ जल के उपयोगकर्ता द्वारा 60 दिनों की अवधि के भीतर उसे जारी निदेशों का अनुपालन नही किया जाता है, प्राधिकरण स्वयं जलमापन साधन लगा सकता है और इस संबंध में अनुपालन न करने वाले उपयोगकर्ता से इसकी लागत वसूल कर सकता है;

(छ) अवैध कुआं खनन के लिए प्रयुक्त उपकरण/साधन को जब्त करना और पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से किये गये कार्य को ध्वस्त करना;

(ज) भूगर्भ जल के किसी उपयोगकर्ता को इस अधिनियम तथा इसके तहत बनाये गए नियमों का अनुपालन न होने पर भूगर्भ जल की निकासी को बंद करने, विद्युत विच्छेद करने अथवा इस अधिनियम तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार अवैध पाये जाने पर किसी भी द्रव चालित (हॉइड्रॉलिक) कार्य को ध्वस्त करने का निदेश देना;

(झ) ऐसे किसी स्थान में तथा ऐसे सहयोग से जो वह आवश्यक समझें, ऐसे किसी स्थान में प्रवेश करने और तलाशी लेने, जहां यह विश्वास करने का कारण हो कि उसमें इस अधिनियम के अधीन अपराध किया गया हो या किया जा रहा हो तथा जो व्यक्ति अपराध किया हो या कर रहा हो, उसे तीस दिनों से अनधिक दिनिर्दिष्ट अवधि के लिए भूगर्भ जल न निकालने या उसका उपयोग न करने हेतु लिखित आदेश देना;

(ञ) इस अधिनियम के उद्देश्यों अथवा इसके अधीन बनाये गये किसी नियम को पूरा करने के लिए ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो आवश्यक हो.

(2) उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति में, ऐसे किसी परिसर का द्वार तोड़ कर खोलने की शक्ति शामिल है, जहां कूप की खुदाई, जल निकासी अथवा भूगर्भ जल का उपयोग हो रहा हो ।

परन्तु द्वार तोड़ने की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकेगा जब परिसर का मालिक अथवा परिसर में रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति के वहां उपस्थित रहने पर तथा द्वार खोलने के लिए कहने पर उसके द्वारा द्वार खोलने से मना कर दिया गया हो।

(3) इस धारा के अधीन तलाशी या अभिग्रहण करने के लिए दंड प्रकिया संहिता 1973 (2, 1974) के उपबंध, जहाँ तक हो सके, उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार उक्त संहिता की धारा 93 के अधीन निर्गत अधिपत्र के प्राधिकार के अधीन कोई तलाशी या अधिग्रहण किए जाने पर लागू होते हैं।

(4) जहां प्राधिकरण उप–धारा (1) के खंड (छ) के अंतर्गत कोई यांत्रिक उपकरण/साधन जब्त करता है तब जल्द से जल्द उसे दण्डाधिकारी को सूचित करना होगा तथा उसे अपनी हिरासत में लेने के लिए उसका आदेश प्राप्त करना होगा ।

12. आदेश इत्यादि का पालन–

(1) धारा 11 की उप–धारा–1 के खंड (घ) के तहत प्रत्येक आदेश का तामिला निम्न रूप से किया जायेगा:–

(क) नोटिस के आदेश को देने अथवा तामील करने अथवा उस उपयोगकर्ता को डाक द्वारा भेजने जिसके लिए यह अभीष्ट है, अथवा

(ख) यदि ऐसा उपयोगकर्ता उपलब्ध नहीं होता है तो, नोटिस के आदेश को उसके रहने के अंतिम ज्ञात स्थान अथवा व्यवसाय के स्थान के किसी सहज दृश्य भाग में चिपकाकर अथवा उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य/नौकर को देकर अथवा भूमि या भवन के कुछ सहज दृश्य भाग पर जहां कुएं की खुदाई की जा रही है, चिपकाकर ।

(2) जहां व्यक्ति जिसे आदेश अथवा नोटिस दिया जाता है, नाबालिग है, तो उपखंड (।) में दी गई पद्धति के अनुसार उनके संरक्षक को तामील नाबालिग को की गई तामील मानी जाएगी ।

13. क्षतिपूर्ति के दावा पर रोक– कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई के आधार पर उसे हुई किसी हानि के लिए सरकार से किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने का हकदार नहीं होगा ।

14. शक्तियों और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन– प्राधिकरण लिखित में सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा यह निदेश दे सकता है कि उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अथवा निर्वहन किये जाने वाले सभी अथवा किन्हीं शक्तियों अथवा कर्तव्यों का, ऐसी परिस्थितियों तथा ऐसी अवस्थाओं में और उन शर्तों एवं बन्धेजों के अधीन, यदि

कोई हो, जिनका उल्लेख उक्त आदेश में किया जायेगा, प्रयोग अथवा निर्गमन आदेश में निर्धारित किसी नगरपालिका, पंचायत, संस्था या प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा किया जा सकता है ।

15. भूगर्भ जल प्राधिकरण के सदस्यों तथा कर्मचारियों का लोक सेवक होना—इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनायी गयी किसी नियमावली के उपबंधों के अनुसरण में कार्य करते अथवा कार्य करने का तात्पर्य रखते समय प्राधिकार के सभी सदस्य एवं कर्मचारी भारतीय दंड संहिता की धारा–21 के अनुसार लोक सेवक माने जायेंगे ।

16. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के विरूद्ध सुरक्षा— इस अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई अथवा करने का विचार रखने के लिए प्राधिकरण अथवा सरकार के किसी अन्य अधिकारी अथवा किसी सदस्य अथवा प्राधिकरण के अन्य कर्मचारी के विरूद्ध कोई मुकदमा, याचिका अथवा कोई अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलाई जा सकेगी ।

17. अपराधों का संज्ञान और विचारण—

(1) प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति की लिखित सहमति के बिना इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जायेगा ।

(2) महानगर मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी के न्यायालय से निम्न किसी न्यायालय द्व. इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं किया जायेगा।

अध्याय– III

18. भूगर्भ जल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल का संचयन–

(1) भूगर्भ जल स्थिति में सुधार लाने के लिए प्राधिकरण राज्य में पुनर्भरण वाले उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान कर सकता है और इन क्षेत्रों में भूगर्भ जल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन अपनाने हेतु आवश्यक दिशा–निदेश जारी कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूगर्भ जल पुनर्भरण को सुविधाजनक बनाने के लिए सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से वाटरशेड प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सकता है। प्राधिकरण राज्य सरकार के संबंधित विभागों को अधिसूचित क्षेत्रों के तहत आनेवाली सभी विकासात्मक योजनाओं में वर्षा जल संचयन को शामिल करने के लिए उचित निदेश दे सकता है। अधिसूचित क्षेत्रों में आनेवाले शहरी क्षेत्रों में प्राधिकरण 1000 वर्ग मीटर अथवा अधिक के क्षेत्र वाले सभी आवासीय, वाणिज्यिक अहातों और अन्य में निश्चित अवधि के अन्दर निर्धारित ढ़ंग से आवश्यक वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए दिशा–निर्देश जारी कर सकता है और ऐसा न होने पर प्राधिकरण ऐसी वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण कर सकता है तथा दण्ड सहित उसकी लागत वसूल सकता है, जैसा कि विहित हो।

(2) सम्बन्धित सुसंगत कानूनों में अन्यथा उल्लिखित होने पर भी यथा स्थिति नगर निगम या कोई स्थानीय प्राधिकार 1000 वर्ग मीटर या अधिक क्षेत्रफल वाले भवनों के निर्माण की स्वीकृति देते समय भवन के छत पर जल संचयन संरचना के निर्माण की शर्त लगा सकता है तथा इसके कम में दिए गऐ निदेश के अनुपालन के उपरांत ही भवन में पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति हेतु स्थायी संयोजन दिया जायेगा।

(3) प्राधिकरण सरकारी एजेंसियों/गैर सरकारी संगठनों/ स्वैच्छिक संगठनों/शिक्षण संस्थाओं/उद्योगों/ व्यक्तियों के माध्यम से वर्षा जल संचयन और भूगर्भ जल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी जनजागरूकता और प्रशिक्षण कार्यकमों के संवर्धन के लिए कदम उठा सकेगा।

अध्याय–IV
विविध

19. कठिनाईयाँ दूर करने की शक्ति– यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई आती है तो सरकार इस कठिनाई को आवश्यकतानुसार एवं तुरन्त दूर करने हेतु, जैसी परिस्थिति हो, किसी भी प्रकार का आदेश दे सकती है।

परन्तु इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा ।

20. अपराध एवं शास्तियाँ––यदि कोई भूगर्भ जल उपयोगकर्ता–

(क) इस अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है अथवा अनुपालन नहीं करता है,

(ख) इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकरण अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति के कार्य में बाधा डालता है,

वह निम्न रूप से दंड का भागी होगा–

(i) प्रथम अपराध के लिए पाँच हजार रुपए तक का जुर्माना, और
(ii) उसके बाद के अपराध के लिए, छह माह तक का कारावास, अथवा दस हजार रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों ।

21. अपराधों का प्रशमन करना– कार्यवाही संस्थित करने के चाहे पूर्व या बाद में, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का यथाविहित रीति से प्राधिकरण द्वारा किया जा सकेगा ।

22. कम्पनियों द्वारा अपराध–

(1) इस अधिनियम के अधीन जब कभी किसी कम्पनी द्वारा कोई अपराध किया गया हो, अपराध करने के समय प्रत्येक व्यक्ति

जो प्रभार में था, अथवा कम्पनी के कार्य संचालन के लिए कम्पनी के प्रति उत्तरदायी था, अपराध का दोषी माना जाएगा और तद्नुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही चलायी जा सकेगी और दण्डित किया जा सकेगा।

(2) उप–धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य पदाधिकारी की सहमति या सहयोग से किया गया हो अथवा उसकी किसी उपेक्षा के कारण किया गया हो, ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य पदाधिकारी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और तदनुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही चलायी जा सकेगी और दण्डित किया जा सकेगा ।

परन्तु इस उप धारा में अन्तर्विष्ट कोई बात, किसी ऐसे व्यक्ति को, इस अधिनियम के अधीन दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर दे कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ था अथवा अपराध रोकने के लिए उसने सभी सम्यक तत्परता बरती थी।

स्पष्टीकरण :– इस खण्ड के प्रयोजनार्थ–:–

(क) "कम्पनी" से अभिप्राय है कोई निकाय निगम और जिसमें कोई फर्म अथवा अन्य संगठन या व्यक्ति विशेष शामिल है, और

(ख) फर्म के संदर्भ में "निदेशक" से अभिप्राय है फर्म में साझेदार ।

23. अपील :–

(1) इस अधिनियम के तहत प्राधिकरण के निर्णय अथवा कार्रवाई से व्यथित कोई व्यक्ति, की गई कार्रवाई अथवा निर्णय के बारे में सूचना प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर यथाविहित फीस का भुगतान कर, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त यथा विनिर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकार के पास अपील कर सकेगा

परन्तु अपीलीय प्राधिकार उक्त 60 दिनों की समाप्ति के बाद भी अपील को स्वीकार कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि आवेदक के पास अपील को समय पर न करने के पर्याप्त कारण हैं।

(2) उपधारा–(1) के अधीन कोई अपील प्राप्त होने पर, अपीलीय प्राधिकार आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के बाद, अपील का यथाशीघ्र निष्पादन करेगा।

24. नियम बनाने की शक्ति–

(1) इस अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर नियम बनाने हेतु सक्षम होगी। –

(2) विशेषतः उपर्युक्त सामान्य शक्तियों के अलावे बिना किसी पूर्वाग्रह के ऐसे नियम में निम्न प्रावधान किए जा सकते हैं।

(क) प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति, सेवा अवधि और सेवा शर्तें;

(ख) प्राधिकरण के कर्मचारियों के कृत्य एवं सेवा शर्तें;

(ग) धारा–5 की उप धारा (3) के खण्ड (ग) के अधीन अधिसूचना तामील करने की अन्य रीति;

(घ) धारा–6 की उप धारा (2) के अधीन आवेदन का प्रपत्र तथा आवेदन के साथ दिये जाने वाला विवरण;

(ङ) धारा–7 की उप धारा (1) के अधीन आवेदन का प्रपत्र;

(च) धारा–6 की उप धारा (6) तथा धारा–7 की उप धारा (6) के अधीन अनुज्ञा पत्र का प्रपत्र तथा पंजीकरण का प्रमाण पत्र;

(छ) वह रीति जिससे धारा–11 की उप धारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन मृदा अथवा अन्य सामग्री के नमूने रखे एवं संरक्षित किये जायेंगे;

(ज) धारा–23 की उप धारा (1) के अधीन अपीलीय प्राधिकार का निर्धारण एवं अपील आवेदन के साथ शुल्क का निर्धारण;

(झ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाने वाला हो या किया जाए ।

(3) इस धारा के अधीन बनायी गयी किसी नियमावली को, बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के हरेक सदन के समक्ष, जब वह कुल चौदह दिनों के लिये सत्र में हो, रखी जायेगी, जो एक ही सत्र में या लगातार सत्र में पड़ सकते हैं। जिस सत्र में उसे प्रस्तुत किया जाय, उस सत्र में या उसके तुरत बाद वाले सत्र में दोनों सदन नियमावली में कोई उपान्तरण करने को सहमत हों अथवा इस बात पर सहमत हों कि नियमावली बनायी ही नहीं जानी चाहिये, तो उसके बाद, वह नियमावली, यथा स्थिति, या तो उपान्तरित रूप में प्रभावी होगी या प्रभावी नहीं होगी, फिर भी, कोई ऐसा उपान्तरण या बातिलीकरण इस नियमावली के अधीन पहले कुछ भी किये गये की विधि मान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

25 जनवरी 2007

सं० एल०जी०-1-030।2006-लेज—12—बिहार विधान मंडल द्वारा यथा-पारित और राज्यपाल द्वारा तिथि 16 जनवरी 2007 को अनुमत बिहार भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबंधन का विनियमन एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2006 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
योगेन्द्र प्रसाद,
सरकार के सचिव।